आदेश पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

रिंकु देवी पत्नी स्वर्गीय पवन कुमार पुत्रवधू सुशिल कुमार पौत्रवधू नागरमल वगैरह जाति महाजन निवासीगण बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू(राज)	—बनाम—	शक्ति पुत्री सुशिल वगैरह जाति महाजन निवासीगण बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू(राज)

किस्म मुकदमा —प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा — मु.नं. 41 /2024

09/05/2024

यह प्रार्थना—पत्र वादी कि ओर से जरिये वकील श्री दिपेन्द्र सिंह जाखड़ ने पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1597/733 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1598/733 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1599/733 रकबा 2.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595/733 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1596/733 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 736 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 744 रकबा 0.1800 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2600 हैक्टेयर के संबंध में अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे तादौराने अपील विवादित भूमि के किसी भी भू—भाग को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विक्रय या हस्तान्तरित नही करे ओर ना ही विवादित भूमि के संबंधित कोई दस्तावेज निष्पादित व तस्दीक नही करवावे। विवादित भूमि में से हरे पेड आदि काटकर और भूमि के गहरे गडढे खोदकर भूमि को नाकाबिल काश्त नही बनाये और भूमि को खुर्द—बुर्द नही करे तथा आवेदिकागण के हक व हिस्से तथा खातेदारी—काश्तकारी व कब्जेशुदा भूमि पर आवेदिकागण को काश्त करने, निनाण करने, फसल काटने व लाटने और काबिज काश्त रहने आदि में किसी प्रकार की काई बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अन्य किसी अपने नौकर चाकर, परिवार व रिश्तेदार आदि से कोई बाधा उत्पन्न करवावे।

आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे विवादित भूमि राजस्व ग्राम बडवासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1597/733 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1598/733 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1599/733 रकबा 2.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1595/733 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1596/733 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 735 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 736 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 737 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.1400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 744 रकबा 0.1800 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2600 हैक्टेयर के संबंध में वादी के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल—डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस/तामील रजिस्ट्रड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 10.06.2024 को पेश हो।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़

Scanned with CamScanner

10/6/24

वकील वादी उप० | अना० नं० 21, 23, 24, 25 की ओर से वकील श्री संदीप सैनी उप० | अनावेदक 22 की ओर से वकील श्री किशोर सिंह इन्द्र उप० | अना० नं० 26 की ओर से पेश० (प्र० उप० | मूल वाद में आवालम्बन पत्र पर (जो० उक्त आदेश किये गये) आवेदक ने आदेश 39 (3) की पालना में डाक रसीद व शपथ पत्र पेश किया पत्रावली आवालम्बन पत्र पर तलबी हेतु आयन्दा दिनांक 27/6/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

27/6/24

पत्रावली पेश हुई। अभि[illegible] द्वारा कार्य स्थगित किये [illegible] P.O. [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त होने [illegible] आयन्दा दिनांक 13/8/24 [illegible]

13/8/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 15/10/24 को पेश हो।

15/10/24

अना० नं० 5 की ओर से वकील संदीप सैनी ने जवाब प्रा० पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब व तलबी आयन्दा दिनांक 12/11/2024 को पेश हो

उपखण्ड अ[illegible]
नवलगढ़ (झु[illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
14/11/24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 9/12/24 को पेश हो। [signature]	
9/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
20/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 5/2/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
5/2/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 19/2/25 को पेश हो। [signature]	
19/2/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 23/4/25 को पेश हो। [signature]	
23.4.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. मा. अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 25.6.25 को पेश हो। [signature]	
25/6/25 वकील अप्रार्थी पत्र प्रा०/ वकील श्रीपाल सिंह ने प्रा० पत्र एक प्रा० पत्र बाबत फरदिन निषेधाज्ञा आदेश दि० 9/5/2024 में संशोधन करवाने हेतु पेश किया। नकल प्रा० पत्र दि० जावे। पत्रावली दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनूं)	

Scanned with CamScanner

आदेश	कार्यवाही विवरण
	27/6/25
	वकील श्री विजय पाण्डे ने प्रा० पत्र 039 R 04 वर्ष का पेश किया। अमल दरामद वास्ते पत्रावली प्रस्तुत आख्या तलब 27/7/25 को पेश हो।
	प्रश्न:- प्रा० पत्र 039 R 4 वर्ष का जोत के [illegible] के अनुसार [illegible] इस प्रा० पत्र में [illegible] किया जाता है संबंधित [illegible], तलब [illegible] आख्या दि० 1/7/25 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी
	1/7/25
	वकील आपत्तिकर्ता उपस्थित। वकील श्री विजय पाण्डे ने संशोधित आपत्ति पेश किया। वकील श्री विजय पाण्डे ने प्रा० पत्र दि० 27/6/25 को प्रस्तुत प्रा० पत्र कालातीत निरस्त आदेश में संशोधन कराने हेतु का पत्रावली पेश किया। वकील श्री [illegible] ने प्रा० पत्र 039 R 4 वर्ष का पत्रावली पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र 039 R 4 वर्ष तथा पेश करने बहस प्रा० पत्र दि० 27/6/25 आख्या तलब 4/7/25 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	4/7/25 पत्रावली पेश हुई। चूँकि पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली बाद आदेशानुसार वास्ते दिनांक 7/7/25 को पेश हो।	
	7/7/25 वकील अप्रार्थीगण हाजिर। अदम प्रा० पत्र दि० 25/6/25 बाबत अन्तरिम स्थगन आदेश में संशोधन किये जाने तथा प्रा० पत्र 039 R 4 CPC की बहस पेश होने पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश वास्ते दिनांक 18/7/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई	
	18/7/2025 वकील उभय पक्ष हाजिर। प्रा० पत्र 039 R4 CPC का पोषणीय व आलोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है। अन्तर्वर्तीय प्रा० पत्र बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश में संशोधन करवाने का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 09.05.2024 में मौके एवं स्थिति की यथास्थिति के आदेश आगामी आदेशों तक पारित (किये जाते) द्वितीय अनुतोष कि तहसीलदार नदबई से मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट ली जाए पोषणीय व आलोचित नहीं होने से खारिज की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते तलबी जवाब दिनांक 13.08.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई	

Scanned with CamScanner

...देश	कार्यवाही विवरण
	13/8/25 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों मे व्यस्त होने से पत्रावली मद आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 15/10/25 को पेश हो। [signature]
	24/9/25

Scanned with CamScanner

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	25/9/2025 प्रा. पत्र मे पत्रावली पेशी पर लेने का प्रा०पत्र पेश होने तथा स्वीकार होने से पत्रावली पेशी पर ली गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद वादीगण/अधि. द्वारा विड्रा कर लिया है तथा एक प्रा. पत्र इसके पेश कर उक्त TI प्रा. पत्र को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा अपना वाद प्रा. पत्र स्वयं खारिज करने का निवेदन करने पर उक्त प्रा. पत्र को खारिज किया जाता है। प्रा. पत्र मे दिनांक 9.5.2024 को पारित आदेश केन्सल/समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नियम से मय हो कर तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	रिंकू तमन्ना [illegible]

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़

रिंकू देवीआदि बनाम शक्ति आदि

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>मिसल तलबी</u>

मु. नं0 41/2024

महोदय,

प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमानजी की सेवामें पेश हैः—

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.10.2025 की नियुक्त है।
2. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थीयागण उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहती है प्रार्थीया प्रकरण को खारिज करवाना चाहती है इसलिए उपरोक्त उनवान की पत्रावली का आज की तारीख पेशी में लिया जाना आवश्यक है फलस्वरूप प्रार्थीयागण उपरोक्त उनवानी पत्रावली को तलब करवाना चाहती है जिसके लिए उपरोक्त उनवान की पत्रावली को आज की पेशी में लिये जाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र सेवामें पेश है।

रिंकू तमन्ना [signature]

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उपरोक्त उनवान की पत्रावली को आज की तारीख पेशी में तलब फरमाने की कृपा

दिनांक—24.09.2024

प्रार्थीगण

रिंकू

1. रिंकू पत्नी स्वर्गीय पवन कुमार पुत्रवधु सुशील कुमार पौत्रवधु नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2. भावना पुत्री पवन कुमार पौत्री सुशील कुमार परपौत्री नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) जरिये मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 28 चेजारो का मोहल्ला, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. तमन्ना पुत्री पवन कुमार पौत्री सुशील कुमार परपौत्री नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

तमन्ना

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़

रिंकू देवीआदि बनाम शक्ति आदि

<u>प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा</u>

~~मिसल तलबी~~

मु. नं0 41/24

महोदय,

प्रार्थीयागण प्रार्थना पत्र निम्नानुसार श्रीमानजी की सेवामें पेश है:—

1. यह कि उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु के संबंध में प्रार्थीयागण की ओर से माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
2. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थीयागण का राजीनामा हो गया है। प्रार्थीयागण उक्त प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाना चाहती है तथा इसी स्टेज पर प्रार्थना पत्र को विड्रा करना चाहती है जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र सेवामें पेश है।
3. यह कि विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 14.06.66 को नामान्तकरण संख्या 485 अं. धारा 33 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तस्दीक किया गया है वह सही है तथा राजस्व रिकॉर्ड सही बना, प्रार्थीयागण ने अपनी हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विकय कर दी है अब विवादित भूमि में कोई हिस्सा नही है, ना ही भविष्य में होगा।

रिंकू तमन्ना

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र विड्रा के आधार पर इसी स्टेज पर खारिज फरमाने की कृपा करें।

दिनांक—24.09.2024

प्रार्थीयागण

रिंकू

1. रिंकू पत्नी स्वर्गीय पवन कुमार पुत्रवधु सुशील कुमार पौत्रवधु नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2. भावना पुत्री पवन कुमार पौत्री सुशील कुमार परपौत्री नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) जरिये मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री बृजमोहन गुप्ता जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 28 चेजारो का मोहल्ला, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. तमन्ना पुत्री पवन कुमार पौत्री सुशील कुमार परपौत्री नागरमल जाति महाजन निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

तमन्ना

Scanned with CamScanner